न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रकरण संख्या :— 69 / 2023

दलीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 40 एनडीआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1— पृथ्वीराज पुत्र पतराम जाति नायक निवासी 40 एनडीआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

2— मालाराम पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 40 एनडीआर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

3— मन्जू पुत्री पृथ्वीराज पत्नी लेखराम जाति नायक निवासी 40 एनडीआर हाल अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4— ममता पुत्री पृथ्वीराज नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमला देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

5— पलक पत्नी पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री प्रेम आलडिया एडवोकेट ——प्रार्थी
2. श्री .... ——अप्रार्थी सं. 3
3. अप्रार्थीगण सख्या 1, 2, 4 व 5 एकपक्षीय
4. राज पैरोकार ——अप्रार्थी सं. 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 26/9/2025

प्रार्थी दलीप कुमार ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि :—

1— यह कि उक्त अनवान का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है।

2— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में स्व0 श्री पतराम [illegible] न का प्रार्थी द्वारा उल्लेख किया गया।

3— यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील [illegible] के चक 40 एनडीआर [illegible] खाता संख्या 30/22 के पत्थर नंबर 79/353 (40) [illegible] किला नंबर 2/2, 1[illegible] 12/3 की 0.4545 है0 कमाण्ड खातेदारी दर्ज रिकार्ड [illegible] है। चित्रप्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि पैतृक कृषि भूमि की आय से व प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मेहनत मजदूरी से खरीद कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित करवाई

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.10 12:45:35 IST
Reason: SelfAttested

गई है जो कि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/6 हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परंतु उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए प्रार्थी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

5– यह कि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि नशेडी प्रवृति का व लालची किस्म का व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम वर्णित पैतृक कृषि भूमि को औने पाने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुश्किल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज भूमि का प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 40 एनडीआर के खाता संख्या 30/22 के पत्थर नंबर 79/353 (40) के किला नंबर 2/2, 11/3, 12/3 की 0.4545 है0 कमाण्ड खातेदारी को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन न करवाए व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई जिस पर दिनांक 25.05.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर एडी तलब किया गया व अप्रार्थी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता एस.एल. सुथार उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया व दिनांक 30.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना जबाव प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र की दफा 1 को अस्वीकार किया व प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 को स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र की दफा 4 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना व अप्रार्थी संख्या 1 के सभी वारिसों का हक व हिस्सा निहित होना व अप्रार्थी संख्या 3 का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भूमि में बतौर वारिस 1/6 हिस्सा होना व्यक्त किया तथा प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही होने के कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 6 स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रकबा चक 40 एनडीआर खाता संख्या 30/20 कुल 0.4545 है0 को ताफैसला दावा कन्फर्म हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना [illegible] किया गया। बहस पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व [illegible]त्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह [illegible] जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान [illegible]री अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 जो एक रिकोर्डेड खातेदार है, उसको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न [illegible]रने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.10 12:45:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 26/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.10 12:45:35 IST
Reason: SelfAttested